

FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

तारीख..... मुकाम.....

विश्वनाथ कौरा

बनाम

पुनमारा कौरा

कस्म मुकदमा

राजस्थान कोर्ट

नं

137

सन्

2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/6/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्वे अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो।	
15/7/2020	<del>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्वे अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो।</del>	
24/8/2020	<del>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ..... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ..... राजस्थान कास्तकारी/भू-राजस्वे अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ..... को पेश हो।</del>	

विश्वनाथ  
26.6.2020  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

विश्वनाथ  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु

B.O  
विश्वनाथ  
सहायक कलक्टर  
(SDO) बायतु



21/9/2020

पार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी वाड दोपहर दिगर काया में व्यस्त होने से मिसल ईलावा होकर आगामी दिनांक 15/10/2020 को पेरा हो।

उक्त

दस्तावेज

15/10/2020.

पार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस शामिल हुआ था। जो पूर्व में प्राप्त हो चुके थे। विपक्षीगण का वजुद शामिल अडुपस्थित। जिन्हें खिलाफ एडुतरफा का पं. वही अमल में लाई जाती है। पार्थी के अधिवक्ता की वकालत में गई पार्थी के अधिवक्ता द्वारा कया की पार्थी व विपक्षीगणों के खातेपारी खेत से रक-रक आयें हुए हैं। पार्थी व विपक्षीगणों के खेत के मध्य जो कण व मोठे आई हुई थी जो वर्तमान में आधियो की पत्र है बिखर गई है। जिससे पार्थी को अपने खातेपारी खेत की सीमाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। जिसके पार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर आपस में तनाशा बना रहता है। पार्थी को अपने खेत की सीमाओं का ज्ञान करने हेतु नेखप वंशी करवाती आकरपड है इसलिए पार्थी का नेखप वंशी आदेश स्वीकार किया जाकर नेखम वंशी आदेश किया जावे।

विश्व व्याप

सहायक फिलक्टर (SDO) वायतु

रोख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

डा. जॉर्ज आधिकारिक है  
 निवेदन पर जॉर्ज का निवेदन बंधी  
 आवेदन स्वीकार किया जाकर  
 तदसीलदार बामतु को कमिश्नर  
 नियुक्त किया जाता है व सम्बन्धित  
 भूत आगिलेय निरीक्षण को सहायक  
 कमिश्नर नियुक्त किया जाकर  
 आदेश दिया जाता है कि आप  
 स्वयं या सहायक कमिश्नर जॉर्ज  
 के खातेवासी खेतों की फसली निवेदन  
 कैंडी मॉके पर कमिश्नर शुल्क  
 जमा कराकर कर / पालना रिपोर्ट  
 प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली है।  
 पत्रावली में कुल शुमार होकर दज  
 नम्बर से कम है, दाखिल कर रहे

विष्णु धाल

सहायक कलेक्टर  
(SDO) बायतु